"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 73] रायपुर, सोमवार, दिनांक 9 अप्रैल 2012—चैत्र 20, शक 1934

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2012

अधिसूचना

क्रमांक/पंग्राविवि/22/04/73/2012/248.—क्रमांक/पंचा./04/73/2012/54-छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 09-02-2012 द्वारा गठित किये गये छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण क्षेत्र विकास प्राधिकरण में, प्राधिकरण की निधि के उपयोग के लिए राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है :—

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा विस्तार :—**

   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छ.ग. राज्य ग्रामीण क्षेत्र विकास प्राधिकरण निधि नियम, 2012 है.

   (2) ये नियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

   (3) छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण क्षेत्र विकास प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में बस्तर एवं दक्षिण आदिवासी क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के क्षेत्रों को छोड़कर समस्त ग्रामीण क्षेत्र व नगर पंचायतों के क्षेत्र शामिल होंगे.

2. **परिभाषाएं :—** इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

   (क) "प्राधिकरण" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा गठित किया गया छ.ग. राज्य ग्रामीण क्षेत्र विकास प्राधिकरण.

   (ख) "प्ररूप" से अभिप्रेत है, वे प्रपत्र जिनमें विकास कार्यों का विवरण एवं इस पर व्यय की जाने वाली राशि आदि का अभिलेख उपलब्ध हो.

   (ग) "निधि" से अभिप्रेत है, प्राधिकरण को राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष बजट प्रावधान मांग संख्या-80, मुख्य शीर्ष-2515, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम में उपलब्ध कराई जाने वाली राशि जिससे प्राधिकरण अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सके.

3. **निर्णयों का क्रियान्वयन :—**

(1) प्राधिकरण के अध्यक्ष अथवा प्राधिकरण की बैठक में दी गई स्वीकृतियों के अनुसरण में नियत की गई एजेंसी, प्ररूप-क में विकास कार्यों का विवरण देते हुए प्रस्ताव संबंधित जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा. इसमें कार्य की तकनीकी स्वीकृति भी सक्षमता अनुसार सम्मिलित होगी.

(2) जिला कलेक्टर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव का पूर्ण परीक्षण करते हुए प्ररूप-ख में प्रमाण पत्र दिया जायेगा. इसमें कार्य की सक्षमता अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति भी सम्मिलित होगी.

(3) जिला कलेक्टर उपरोक्त दोनों प्ररूपों को प्राधिकरण के सदस्य-सचिव के समक्ष प्रस्तुत करेगा.

(4) सदस्य-सचिव द्वारा यदि आवश्यक हो तो इनका परीक्षण संबंधित विभाग से करवाते हुए तथा यदि किसी स्तर पर तकनीकी अथवा प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता होगी तो, उसे भी प्राप्त करते हुए इसे अध्यक्ष, प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा.

(5) अध्यक्ष, प्राधिकरण प्रस्ताव पर प्राधिकरण के अन्य सदस्यों से विचार कर अथवा स्वयंमेव इसे स्वीकृत कर सकेगा.

(6) अध्यक्ष की स्वीकृति उपरांत वित्तीय स्वीकृति की संसूचना, संचालक, पंचायत विभाग को दी जायेगी.

4. **विकास प्राधिकरण के अंतर्गत लिये जाने वाले कार्य :—** प्राधिकरण के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के छोटे-छोटे विकास कार्यों की स्वीकृति दी जा सकेगी. प्राधिकरण से स्वीकृति ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय/ढांचागत विकास के होंगे. विकास कार्यों की स्वीकृति व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखकर दी जाएगी. ऐसे कार्य जो किसी धर्म विशेष के प्रोत्साहन अथवा प्रचार में सहायक होते हों, को प्राधिकरण द्वारा प्रश्रय नहीं दिया जायेगा.

प्राधिकरण निधि से सामान्यत: रुपये 25 लाख की सीमा के कार्यों की स्वीकृति दी जाएगी. इससे अधिक राशि की स्वीकृति प्राधिकरण के अध्यक्ष विशेष परिस्थितियों में दे सकेंगे.

5. **निधि से राशि की स्वीकृति एवं जारी करना :—**

(1) प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए प्राधिकरण निधि से राशि पुनरावंटन किये जाने हेतु स्वीकृति पत्र सदस्य सचिव एवं सचिव, मुख्यमंत्री जी द्वारा जारी किया जाएगा.

(2) स्वीकृत कार्यों के लिए निधि से राशि संचालक, पंचायत विभाग द्वारा पुनरावंटित की जायेगी.

(3) कलेक्टर द्वारा यथायोग्य दो अथवा तीन किश्तों में कार्यों की प्रगति के अनुसार राशि क्रियान्वयन एजेंसी को उपलब्ध कराई जायेगी.

(4) कार्य की समाप्ति उपरांत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र कलेक्टर द्वारा संचालक, पंचायत विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा.

6. **पर्यवेक्षण प्रभार से मुक्ति :—** प्राधिकरण की निधि से स्वीकृत कार्य पर्यवेक्षण प्रभार से मुक्त रहेंगे. संबंधित निर्माण विभाग एवं क्रियान्वयन एजेंसी को केवल कार्यों की लागत के बराबर ही राशि का आवंटन किया जायेगा.

7. **लेखा संधारण की रीति :—**

(1) समय-समय पर निधि में जमा तथा पुनराबंटन की स्वीकृति एवं व्यय का लेखा प्राधिकरण लेखा प्राधिकरण प्रकोष्ठ द्वारा संधारित किया जायेगा.

(2) निधि से आबंटित राशि, व्यय एवं तत्संबंधी अन्य विषयों का लेखा, लेखा संधारण, संचालक, पंचायत विभाग एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में इस हेतु एक प्रभारी अधिकारी को नियुक्त कर, राज्य सरकार की राशि के लेखा संधारण की भांति किया जायेगा.

8. **प्राधिकरण की निधि से तैयार आस्तियों का रख-रखाव एवं संधारण :**—प्राधिकरण की निधि से निर्मित आस्तियों का लेखा-जोखा संबंधित विभाग द्वारा संधारित किया जायेगा. इन आस्तियों के उपयोग एवं रख-रखाव का उत्तरदायित्व भी संबंधित विभाग का होगा. विभाग इन आस्तियों को अपने "बुक्स" में लेंगे.

9. **लेखाओं का पर्यवेक्षण, परीक्षण एवं अंकेक्षण :—**

(1) संचालक, पंचायत विभाग द्वारा नियम-7 में उल्लेखित लेखा विवरण का समय-समय पर पर्यवेक्षण, परीक्षण एवं निरीक्षण किया अथवा करवाया जायेगा.

(2) संचालक, पंचायत विभाग एवं जिला कलेक्टर कार्यालयों में विकास प्राधिकरण की राशि से संपादित होने वाले कार्यों से संबंधित संधारित किये जाने वाले लेखाओं का अंकेक्षण, महालेखाकार द्वारा किया जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, संयुक्त सचिव.

प्ररूप-"क"

देखें नियम-3 (1)

प्रति,

कलेक्टर,
जिला ....
छत्तीसगढ़.

महोदय,

दिनांक .... को छ.ग. राज्य ग्रामीण विकास प्राधिकरण की बैठक में/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्णय के बिन्दु क्रमांक .... के अनुसार विकास कार्य .... को .... स्थल में क्रियान्वित करने के लिए .... विभाग को क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है.

2. इस निर्णय के अनुसरण में कार्यस्थल का पूर्ण निरीक्षण कर कार्य के परिमाण का आंकलन विभाग द्वारा किया गया. इस आंकलन में कार्य से संबंधित तकनीकी प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी द्वारा मान्य किया गया है. तकनीकी स्वीकृति क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा सक्षम अधिकारी .... द्वारा दी गई है.

3. इस .... विकास कार्य को पूर्ण करने में राशि .... रुपये की लागत आना आंकलित है.

4. कृपया इस कार्य एवं राशि का प्रशासनिक अनुमोदन सक्षमता अनुसार जारी कर इसे प्राधिकरण को स्वीकृति हेतु भेजने का कष्ट करें.

संलग्न :- तकनीकी प्रतिवेदन.

क्रियान्वयन एजेंसी का नाम ....
प्रस्तावक का नाम ....
पदनाम ....
कार्यालय की मुद्रा

स्थान :
दिनांक :

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.